

## संस्थागत प्रसव के साथ प्रसवोत्तर महिला नसबंदी कराए इसके साथ प्रसूति अवकाश सहायता एवं जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता का लाभ उठाए

स. क्र.	योजना का नाम	योजना अंतर्गत वित्तीय सहायता
1	जननी सुरक्षा योजना	रु. 1400 (ग्रामीण) 1000 (शहरी क्षेत्र में)
2	प्रसवोत्तर महिला नसबंदी	रु. 2200
3	प्रसूति अवकाश सहायता – श्रमिक संवर्ग की योजनाओं में पंजीकृत मजदूरों के लिये (अनुमानित कलेक्टर दर रु. 170 प्रतिदिन)	मातृत्व अवकाश (45 दिवस) : रु. 7650 पितृत्व अवकाश (15 दिवस) : रु. 2550
<b>कुल पैकेज राशि</b>		<b>रु. 13800(ग्रामीण) रु. /13400 (शहरी क्षेत्र में)</b>
1.	<b>प्रेरणा योजना:-</b> 1. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दंपत्ति जिनके विवाह के समय पत्नि की उम्र 19 वर्ष पूर्ण हो एवं 30 वर्ष से कम हो, पहले बच्चे का जन्म विवाह के कम से कम 02 वर्ष उपरांत हो एवं पत्नि की उम्र 21 वर्ष पूर्ण हो।	पुत्र जन्म पर:- रुपये 10000/- पुत्री जन्म पर:- रुपये 12000/- नोट:- राशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में जनसंख्या स्थिरता कोष भारत सरकार द्वारा प्रदाय की जावेगी।
1.1	2. दूसरे बच्चे के जन्म में कम से कम तीन वर्ष का अंतराल एवं जन्म के एक वर्ष के अंदर दंपत्ति ने स्वेच्छा से नसबंदी ऑपरेशन करवाया हो।	पुत्र जन्म पर :- रुपये 5000/- पुत्री जन्म पर:- रुपये 7000/- नोट:- राशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में जनसंख्या स्थिरता कोष भारत सरकार द्वारा प्रदाय की जावेगी।

### परिवार कल्याण कार्यक्रम

स. क्र.	योजना का नाम	योजना अंतर्गत हितग्राही को प्रदाय की जाने वाली राशि
1	महिला नसबंदी करवाने पर	रु. 1400
2	पुरुष नसबंदी करवाने पर	रु. 2000
3	आई.यू.सी.डी./पीपीआईयूसीडी लगवाने पर	रु. 20
4	प्रायवेट नर्सिंग होम में नसबंदी करवाने पर	रु. 2000 (एनएचएम एक्जिडियेटेड संस्था को)
4.1	महिला नसबंदी करवाने पर महिला को	रु. 1000 (एनएचएम एक्जिडियेटेड संस्था)
4.2	<b>संतुष्टि योजना:-</b> 1.महिला नसबंदी करवाने पर	रु.2100/-जनसंख्या स्थिरता कोष से एक्जिडियेटेड संस्था
4.3	2. पुरुष नसबंदी करवाने पर	रु. 2600/-जनसंख्या स्थिरता कोष से एक्जिडियेटेड संस्था

जिला नोडल अधिकारी :- ----- फोन न. (.....)

राज्य स्तरीय जे.एस.एस.के. हेल्प डेस्क दूरभाष क्रमांक 0755-4920523